म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नि0/विपणन संघ/659/ 961   भोपाल दिनांक 29 /03/2022

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
जहाँगीराबाद, मुख्यालय भोपाल

विषयः-म. प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे

संदर्भः- मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल का पत्र क्रमांक/उपार्जन (दलहन-तिलहन)/7121/2022 दिनांक 11/01/2022

संदर्भित पत्र द्वारा म. प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अध्यधीन प्रदेश के विभिन्न मण्डी क्षेत्रो मे क्रय विक्रय हेतु प्ररूप-एक मे विशेष अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिनांक 11/01/2022 प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन मे, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त मण्डी क्षेत्र, समस्त मण्डी प्रांगण एवं समस्त उपमण्डी प्रांगण मे समस्त अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु अनुमति चाही गई है।

2/ आवेदक, मध्यप्रदेश राजय सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल का रजिस्ट्रार, कोपरेटिव सोसायटी मध्यप्रदेश मे पंजीकरण क्रमांक 6782 दिनांक 19/09/1956 है।

3/ मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32-क के अधीन म. प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के अध्यधीन नियम 6 (1) के परन्तुक अनुसार राज्य सरकार के उपक्रम की भांति ही केन्द्र सरकार के उपक्रम के लिए एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो मे अधिसूचित कृषि उपज का कारोबार करने के लिए विशेष अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रतिभूति के संबंध मे शिथिलता दी गई है परन्तु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को मण्डी अधिनियम की धारा 37 के उपबंधो के अधीन विक्रेताओ को कृषि उपज का विहित समयावधि में भुगतान करना आवश्यक एवं अनिवार्य है।

4/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को समस्त अधिसूचित कृषि उपज के क्रय से संबंधित विक्रेता के साथ प्ररूप-पांच मे करार, प्ररूप-छः विक्रय वाउचर तथा मण्डी समिति के कार्यालय मे, क्रय-विक्रय से संबंधित प्ररूप-सात मे पाक्षिकी विवरण, प्ररूप-आठ मे दैनिक क्रय विवरण, उपाबंध-एक एवं अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय/निर्गमन के संबंध मे उपाबंध-दो मे पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना ~~अनिवार्य है। संबंधित प्ररूपो की छायाप्रति संलग्न है।~~

5/ म. प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 7(दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु मंडी का नाम और क्रय केंद्र आदि का विवरण देना प्रावधानित है, जिसके अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के शासकीय उपार्जन/खरीदी/विक्रय के स्थान/केंद्रों की मंडी बोर्ड एवं संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

6/ मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32-क के अधीन म. प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को समस्त अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय के लिए, अनंतिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 में परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

संलग्न:-परिशिष्ट-अ

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बी-6/नि0/विपणन संघ/659/962 भोपाल दिनांक 29/03/2022

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को म. प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 के अधीन **समस्त अधिसूचित कृषि उपज** के लिए विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मंण्डी समिति........................ जिला.......................... (म. प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल म. प्र. को कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 के अधीन जारी विशेष अनुज्ञप्ति उपरोक्तानुसार **समस्त अधिसूचित कृषि उपज** के लिए स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। उक्त अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

3. अपर संचालक (आई.टी. सेल), म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल मध्यप्रदेश को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की ई-अनुज्ञा पोर्टल मे आवश्यक प्रविष्टि की जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

29/3/22

परिशिष्ट-अ

प्ररूप - तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./ 12 /___ दिनांक 29/03/2022

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख 29......माह.03...वर्ष 2022 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप एक वर्ष के लिए दी जाती है :-

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
	सब्जी, फल तथा फूल/ मसाले/ तन्तु (कपास आदि)/ तिलहन/ धान्य तथा दलहन/ वन उपज और कृषि औषधीय उपज	समस्त अधिसूचित मण्डी क्षेत्र	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति समस्त	-	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जहाँगीराबाद, मुख्यालय भोपाल	प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जहाँगीराबाद, मुख्यालय भोपाल

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केंद्रों में मिलाकर नीचे यथादार्षित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करें -

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मी. टन में) [नियम 4(2) देखिये]
1	सब्जी, फल तथा फूल	1,000 मी. टन
2	मसाले	1,000 मी. टन
3	तन्तु (कपास आदि)	2,000 गठान
4	तिलहन	2,000 मी. टन
5	धान्य तथा दलहन	2,000 मी. टन
6	वन उपज और कृषि औषधीय उपज	100 मी. टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगाः-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अनंतिम अनुज्ञप्ति दिनांक ..29../03/2022 से ..28../03/2023 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-
(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,
(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉं प्रस्तुत न करने पर,
(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,
(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल